रजिस्ट्री संख्या डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 28, 1985 (आश्विन 6, 1907)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 1985 (ASVINA 6, 1907)

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।**
**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

## विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 719 |
| भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 1195 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | — |
| भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 1327 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | * |
| भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | * |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट | * |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | * |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश | * |
| भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 32593 |
| भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस | 701 |
| भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्यों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | — |
| भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 1793 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस | 161 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक | * |


*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. | 719 |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. .. .. | 1195 |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. .. | — |
| PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. .. | 1327 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. | |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) .. .. | * |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. | * |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. | 32593 |
| PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. | 701 |
| PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. .. .. | — |
| PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. .. | 1793 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 161 |
| PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .. | * |


*Folio Nos. not received.

# भाग I—खण्ड 1
# [PART I—SECTION 1]

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1985

सं० 95-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री कर्मवीर सिंह,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ।

श्री किशन पाल पाण्डे, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 349 ।

श्री जगपाल सिंह,
नायक ,
"जी" कम्पनी 28 वीं बटालियन,
पी०ए०सी० ।

श्री राम आज्ञा सिंह,
नायक सं० 21193,
15वीं बटालियन,
पी०ए०सी० ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

3 मार्च, 1982, को यह सूचना प्राप्त हुई कि छबीराम डाकू का गिरोह थाना बारनाहल और थाना घिरौर की सीमा पर उपस्थित था । उस क्षेत्र से डाकुओं का सफाया करने के लिए पुलिस ने कार्यवाही शुरू की । जैसे ही मैनपुरी के पुलिस उप-अधीक्षक गांव खिरिया की तरफ गए, तो गिरोह के साथ संघर्ष शुरू हो गया । इसी दौरान श्री कर्मवीर सिंह, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, पी० ए०सी०, की एक प्लाटून के साथ गांव हाथा थाना घिरौर पहुंचे और घिरौर-कारहल रोड, को पार करने की गिरोह की योजना को विफल बनाने के लिए तुरन्त नवातारा की ओर गए । मैनपुरी के पुलिस निरीक्षक पी० ए० सी०, के डेढ़ सेक्शन के कार्मिकों सहित नंगला बंजारा में रुके ताकि वे गिरोह को उस क्षेत्र को पार करने से रोक सकें । श्री कर्मवीर सिंह, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, पुलिस उप-अधीक्षक और पी०ए०सी० के डेढ़ सेक्शन के कार्मिकों के साथ पास के खेतों में मोर्चा संभालने के लिए गांव अटा हरेना की तरफ अग्रसर हुए । बंदूक की गोलियों की आवाजों से यह निश्चित हो गया कि गिरोह इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है । गिरोह बचकर भागने के रास्ते के लिए गांव हरेना में घुसा परन्तु पुलिस दल और पी० ए०सी० के बलों ने गिरोह को रोक दिया । गिरोह ने गांव अटा की ओर बढ़ने और बलपूर्वक सड़क पार करके गांव रथेरा की ओर जाने की कोशिश की लेकिन श्री कर्मवीर सिंह और उनके दल ने गिरोह का कड़ा मुकाबला किया । अन्त में गिरोह को सेंगर की नदी की तलहटी में घेर लिया गया । जैसे ही अंधेरा होने लगा गिरोह ने निकलने की बहुत कोशिश की, परन्तु उनके प्रयास को निष्फल कर दिया गया । निराश डाकुओं ने पुलिस दलों पर बहुत भारी गोलीबारी की । पी०ए०सी० के 28वीं बटालियन के नायक जगपाल सिंह इस कार्यवाही में सबसे आगे थे और दिन के वक्त की गई कार्यवाही में बराबर गिरोह के साथ संघर्ष करते रहे थे । जब वे पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक कर्मवीर सिंह की ओर से लड़ रहे थे तो वे गोली लगने के कारण गम्भीर रूप से घायल हो गए । श्री राम आज्ञा सिंह, नायक, और श्री किशन पाल पाण्डे, कांस्टेबल, जो पुलिस दल के सदस्य थे, बहादुरी के साथ लड़े और डाकुओं को अच्छी तरह घेर लिया । वे अपने साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे । और गिरोह के अधिक पास जाने के लिए कोई भी खतरा मोल लेने के लिए निरन्तर तैयार थे । इस कार्यवाही में कांस्टेबल किशन पाल पाण्डे डाकुओं की गोली से जख्मी होकर मारा गया । गोलीबारी रुकने पर पुलिस दल आगे बढ़ा और उनको मालूम हुआ कि खतरनाक डाकू छबिराम और उसके गिरोह के 11 नामी सदस्य मारे गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री कर्मवीर सिंह, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, श्री किशन-पाल पाण्डे, कांस्टेबल, श्री जगपाल सिंह, नायक, और श्री राम आज्ञा सिंह, नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 1982, से दिया जाएगा ।

सं० 96-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जहान सिंह,
निरीक्षक ।

श्री बृजेन्द्र सिंह मलिक,
निरीक्षक ।

श्री बृज भूषण चौधरी,
उप-निरीक्षक ।

श्री अनन्त प्रसाद सिंह,
उप निरीक्षक ।

श्री हरिशंकर सिंह यादव,
कम्पनी कमांडर,
15वीं बटालियन,
पी०ए०सी० ।

श्री राम खिलावन मिश्र,
कम्पनी कमांडर,
एफ कम्पनी
12वीं बटालियन,
पी०ए०सी० ।

श्री राम प्रकाश पचौरी,
प्लाटून कमांडर,
15वीं बटालियन,
पी० ए० सी० ।

श्री राम करण सिंह,
प्लाटून कमांडर,
28वीं बटालियन,
पी० ए० सी० ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

3 मार्च, 1982 को सूचना प्राप्त हुई कि छविराम डाकू का गिरोह थाना बारनाहाल और थाना खिरौर की सीमा पर उपस्थित है। उस क्षेत्र से डाकुओं का सफाया करने के लिए पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। जैसे ही श्री मेघ सिंह राणा, पुलिस उप-अधीक्षक, गांव खिरिया की तरफ गए, गिरोह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। इसी दौरान मैनपुरी के पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक श्री विजय सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक तथा पी० ए० सी० की एक प्लाटून के साथ गांव ताखा, थाना खिरौर पहुंचे और खिरौर कारहल रोड को पार करने की गिरोह की योजना को विफल करने के लिए तुरन्त नवातारा की ओर गए। पुलिस दल में श्री जहान सिंह, निरीक्षक, श्री दुजेन्द्र सिंह मलिक, निरीक्षक, श्री बृज भूषण चौधरी, उप-निरीक्षक, श्री अनन्त प्रसाद सिंह उप निरीक्षक, श्री हरि शंकर सिंह यादव, कम्पनी कमांडर, पी० ए० सी०, श्री राम खिलावन मिश्र, कम्पनी कमांडर, पी० ए० सी०, श्री राम प्रकाश पचौरी, प्लाटून कमांडर, पी० ए० सी०, तथा श्री राम करण सिंह, प्लाटून कमांडर, पी० ए० सी०, भी शामिल थे। पी० ए० सी० का डेढ़ सैक्शन श्री दुजेन्द्र सिंह मलिक, निरीक्षक, को दिया गया ताकि वे नंगला में रुककर गिरोह को उस क्षेत्र को पार करने से रोक सके। पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, श्री सुखराम पाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, और पी० ए० सी०, के डेढ़ सैक्शन के साथ इस ओर से भागने के मार्गों को रोकने के लिए गांव अटा हरेना की तरफ अग्रसर हुए। बन्दूक की गोलियों की आवाजों से यह निश्चित हो गया कि गिरोह उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। गिरोह गांव हरेना में घुसा और पीछा करने वाले पुलिस दलों को रोकने तथा बचकर भागने के रास्तों की खोज करने की पूरी कोशिश की परन्तु पुलिस दल और पी० ए० सी० के दलों ने गिरोह के बचकर भाग निकलने की योजना को रोका। गिरोह ने गांव अटा की ओर बढ़ने और बल-पूर्वक सड़क पार करके गांव रथेरा की ओर जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक और उनके दल ने गिरोह का कड़ा मुकाबला किया। अन्त में गिरोह को सेंगर नदी की तलहटी में घेर लिया गया। जैसे ही अंधेरा होने लगा गिरोह ने निकलने की बहुत कोशिश की परन्तु उनके प्रयास को निष्फल कर दिया गया। निराश डाकुओं ने पुलिस दलों पर बहुत भारी गोली बारी की। पुलिस दल डाकुओं का मुकाबला करने के लिए डट गया और गिरोह को समाप्त करने के लिए अन्तिम आक्रमण किया। गोलीबारी रुकने पर पुलिस दल आगे बढ़ा और उसको मालूम हुआ कि खतरनाक डाकू छविराम और उसके गिरोह के 11 नामी सदस्य मारे गए हैं।

इस मुठभेड़ में श्री जहान सिंह, निरीक्षक, श्री दुजेन्द्र सिंह मलिक, निरीक्षक, श्री बृजभूषण चौधरी, उप निरीक्षक, श्री अनन्त प्रसाद सिंह, उप निरीक्षक, श्री हरि शंकर सिंह यादव, कम्पनी कमांडर, श्री राम खिलावन मिश्र, कम्पनी कमांडर, श्री राम प्रकाश पचौरी, प्लाटून कमांडर, और श्री राम करण सिंह, प्लाटून कमांडर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 97-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री विजय सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक।

श्री मेघ सिंह राणा,
पुलिस उप अधीक्षक।

श्री सुखराम पाल सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

3 मार्च, 1982, को सूचना मिली कि छवी राम डाकू का गिरोह थाना बारनाहल तथा थाना खिरौर की सीमा पर उपस्थित है। उस क्षेत्र से डाकुओं का सफाया करने के लिए पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। जैसे ही श्री मेघ सिंह राणा, पुलिस उप अधीक्षक, गांव खिरिया की ओर बढ़े तो गिरोह के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इसी दौरान मैनपुरी के पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक श्री विजय सिंह, पुलिस उप अधीक्षक तथा पी० ए० सी० की एक प्लाटून के कार्मिकों सहित गांव ताखा, थाना खिरौर पहुंचे और वहां से खिरौर-कारहल रोड को पार करने की गिरोह की योजना को विफल करने के लिए तुरन्त नवातारा की ओर बढ़े। श्री दुजेन्द्र सिंह मलिक, निरीक्षक ने गिरोह को नगला में उस क्षेत्र को पार करने से रोकने के लिए पी० ए० सी० को डेढ़ सैक्शन का नेतृत्व किया। पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, श्री सुखरामपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक तथा पी० ए० सी० के डेढ़ सैक्शन के कार्मिकों सहित गांव अटाहरेना की ओर बढ़े ताकि उस ओर से भाग निकलने के रास्तों को रोका जा सकें। गोली की आवाज से यह निश्चित हो गया कि गिरोह उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। गिरोह ने हरेना गांव में प्रवेश किया तथा पीछा करने वाले पुलिस दल को रोकने और बचकर भाग निकलने के मार्गों को तलाश करने की पूरी-पूरी कोशिश की, परन्तु पुलिस दल और पी० ए० सी, दल ने गिरोह के बचकर भाग निकलने की योजना को विफल कर दिया। गिरोह ने गांव अटा की ओर बढ़ने और रथेरा की ओर बलपूर्वक सड़क पार करके जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक और उनके दल ने गिरोह का कड़ा मुकाबला किया। अन्त में गिरोह को सेंगर नदी की तलहटी में घेर लिया गया। जैसे ही अंधेरा होने लगा, गिरोह ने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बचकर भाग निकलने के प्रयास निष्फल रहे। हताश डाकुओं ने पुलिस दलों पर भारी गोली-बारी की। पुलिस दल डाकुओं का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह डट गए और गिरोह को समाप्त करने के लिए आखिरी हमला किया। जब गोलीबारी बन्द हुई तो पुलिस दल आगे बढ़ा और उसे मालूम हुआ कि इस मुठभेड़ में खतरनाक डाकू छबीराम और उसके गिरोह के 11 नामी सदस्य मारे गए हैं।

इस प्रकार श्री विजय सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, श्री मेघ सिंह राणा, पुलिस उप अधीक्षक तथा श्री सुखरामपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 1982, से दिया जाएगा।

मु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उपसचिव

---

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1985

संकल्प

सं० 8-2/85-आई०जे०एस०सी०—योजना आयोग के दिनांक 1 जून, 1982 के संकल्प संख्या एफ० 13(39)/62-प्रशासन-I—द्वारा स्थापित भारत और जापान में आर्थिक विकास संबंधी अध्ययन के लिए गठित समिति और 13 जनवरी, 1979 के सं० 8-2/79-आई०जे०एस०सी० द्वारा भारत-जापान अध्ययन समिति के रूप में नामोदिष्ट त । बाद में

योजना आयोग के दिनांक 16 जून, 1984 के संकल्प सं० 8-2/79-आई०जे०एस०सी० द्वारा पुनर्गठित समिति का निम्न प्रकार से और पुनर्गठन किया गया है :

| | |
|---|---|
| श्री आबिद हुसैन | अध्यक्ष |
| श्री विनेश सिंह | सदस्य |
| प्रोफेसर एस० रामशेषन | सदस्य |
| श्री पी० एस० देवधर | सदस्य |
| श्री ध्रुव साहनी | सदस्य |
| श्री नितिन देसाई | सदस्य-सचिव |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैनिक सचिव और विदेश में सभी भारतीय मिशनों के अध्यक्षों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

---

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1985

संकल्प

सं० फा० 4(1)/85-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय के संकल्प सं० फा० 2(2)/84-हिन्दी, दिनांक 18 मई, 1984, समय-समय पर यथा संशोधित, का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन करने का निश्चय किया है :—

गठन

सरकारी सदस्य

| | |
|---|---|
| 1. संसदीय कार्य मंत्री (श्री हर किशन लाल भगत) | अध्यक्ष |
| 2. संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) | उपाध्यक्ष |
| 3 संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) | सदस्य |
| 4. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय | सदस्य |
| 5. सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार | सदस्य |
| 6. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) | सदस्य |
| 7. उप सचिव (प्रशासन) संसदीय कार्य मंत्रालय | सदस्य |
| 8 उप सचिव (विधायी) संसदीय कार्य मंत्रालय | सदस्य |

गैर-सरकारी सदस्य

| | |
|---|---|
| 9. श्री उमाकान्त मिश्र, सदस्य, लोक सभा | सचिव |
| 10. श्रीमती किशोरी सिन्हा, सदस्य लोक सभा | सदस्य |
| 11. श्री अश्विनि कुमार, सदस्य, राज्य सभा | सदस्य |
| 12. श्री मुक्तियार सिंह मलिक सदस्य, राज्य सभा | सदस्य |
| 13. श्री जे० वेंगेल राव, सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति (सदस्य, लोक सभा) | सदस्य |
| 14. श्री रामचन्द्र भारद्वाज सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति (सदस्य, राज्य सभा) | सदस्य |
| 15. डा० लक्ष्मी नारायण दुबे, रीडर, हिन्दी विभाग, बी-6, सागर विश्वविद्यालय, सागर-470003 (मध्य प्रदेश) | सदस्य |
| 16. डा० सत्येन्द्र चतुर्वेदी, उप-प्राचार्य, स्नातकोत्तर अध्ययन, हिन्दी विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान) 301001 | सदस्य |
| 17. श्री कृपा नारायण कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्त नगर (उत्तर प्रदेश) 263145 | सदस्य |
| 18. श्री राम लाल परिख, सचिव, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 75, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002 6/1, लोट्स सोसायटी, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380014 (गुजरात) | सदस्य |
| 19, श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य प्रधान मंत्री, नागरी प्रचारणी सभा, 26 डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली वाराणसी (उत्तर प्रदेश) | सदस्य |
| 20. सचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, खैरताबाद, हैदराबाद-4 (आन्ध्र प्रदेश) | सदस्य |
| 21. सचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति, त्यागराज नगर मद्रास (तमिल नाडू) | सदस्य |
| 22. श्री हरिहर नाथ मिश्र (आई०आर०टी०एस० रिटायर्ड) फ्लैट नं० 2, ब्लाक नं०-II नगर पालिका फ्लैट्स, हेस्टिंग रोड, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) | सदस्य |
| 23. प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् एक्स-बाई-68 सरोजनी नगर, नई दिल्ली | सदस्य |
| 24. श्री मुकुल चन्द पाण्डेय, 2/10, त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ (226020) | सदस्य |

कार्य

इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना होगा ।

कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की पूर्व अधिसूचना की तारीख दिनांक 18 मई, 1984 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ही होगा । बशर्ते कि :—

(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहते ही, वह इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा ।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे अपने पदों पर हैं, जिनके कारण वह समिति के सदस्य हैं ।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य, शेष अवधि के लिए सदस्य होगा ।

सामान्य

(1) समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्यों को सह-योजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है ।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक अन्य स्थान पर भी कर सकती है ।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते :

गैर-सरकारी सदस्य को समिति की और उसकी उप-समितियों की बैठकों में समय-समय पर भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निश्चित दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति-सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमण्डल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

देव राज तिवारी, उप सचिव

---

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1985

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड ।

सं० एफ० 4-2/80-प्रौ०शि०—यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 3 जनवरी, 1983 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 4 के अन्तर्गत शीर्ष "अध्यक्ष" के विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

1. "केन्द्रीय शिक्षा मंत्री"

संसद सदस्य

लोक सभा

10. श्री हरद्वारी लाल

11. श्री कैयूर भूषण

राज्य सभा

12. श्री एम० पी० कौशिक

2. यह इस मंत्रालय के दिनांक 22 सितम्बर, 1984 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में होगा ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि, सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए ।

पी० के० पटनायक, संयुक्त सचिव

---

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1985

सं० 22/1/80-जीवन बीमा—राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि डाक जीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा संबंधी नियमावली में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं, अर्थात् :—

डाक जीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा संबंधी नियमावली के नियम 19 नोट-10 के स्थान पर निम्नलिखित नोट प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :—

"नोट 10" :—पोस्टमास्टर जनरल, सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के सेवा निवृत्त होने से पूर्व उनके स्तर का सत्यापन करने के बाद ही नीचे दी गई धनराशि तक के डाक जीवन बीमा संबंधी मामले की जांच करने के लिए इन सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करें :—

| | | |
|---|---|---|
| (एक) | 50,000 रु० तक की बीमा राशि के लिए : | ऐसे सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी जिनका स्तर सिविल सर्जन से कम न रहा हो । |
| | (सरकारी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-I/विशेषज्ञ श्रेणी-II के नाम पर भी सिविल सर्जन की श्रेणी के बतौर विचार किया जाए) | |
| (दो) | 20,000 रु० तक की बीमा राशि के लिए : | वे सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी जिनका स्तर सिविल सर्जन से नीचे तो है लेकिन जिन्होंने कम से कम एम०बी०बी०एस० किया हो । |
| (तीन) | 2,000 रु० तक की बीमा राशि के लिए : | एल०एस०एम०एफ० शैक्षणिक योग्यता वाले सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी । |

2. ये संशोधन 1-8-1985 से लागू होंगे ।

बी० एन० सोम, निदेशक (डाक जीवन बीमा)

---

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1985

संकल्प

सं० ई-11015/4/84-हिन्दी—निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई, 1985 के समान संख्यक संकल्प के अनुक्रम में, भारत सरकार ने संसदीय राजभाषा समिति के निम्नलिखित सदस्यों को निर्माण और आवास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में नामित करने का निर्णय किया है :—

1. श्री वी० तुलसीराम,
संसद सदस्य (लोक सभा)
22, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड, नई दिल्ली ।

2. श्री मुलायम सिंह यादव
संसद सदस्य (राज्य सभा),
130, तार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एम० गुप्ता, उप सचिव
तथा सदस्य सचिव, हिन्दी सलाहकार समिति

---

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1985

संकल्प

सं० ई-11017/11/83-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 17 नवम्बर, 1984 के संकल्प संख्या ई-11017/11/83-हिन्दी (भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड 1 में सा०का०नि० सं० 10 में दिनांक 9-3-1985 को प्रकाशित) में निम्नलिखित को एक टिप्पणी के रूप में जुड़ा हुआ समझा जाए :—

"टिप्पणी : I—पुरस्कार वर्ष क्रमशः 1984-86, 1986-88, 1988-90 और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। II—किसी पुरस्कार वर्ष के दौरान विचारार्थ प्राप्त पुस्तकें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 30 जून तक स्वीकार की जायेंगी। (उदाहरणार्थ—पुरस्कार वर्ष 1984-86 के लिए विचारार्थ प्राप्त पुस्तकें 30 जून, 1986 तक स्वीकार की जायेंगी) उसके बाद प्राप्त होने वाली पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(III) केवल संबंधित पुरस्कार वर्ष के दौरान लिखी/अनूदित/प्रकाशित पुस्तकों को ही विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एम० गुप्ता, उप सचिव

---

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 13th September 1985

No. 95-Pres/85.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

*Names and rank of the officers*

Shri Karamvir Singh,
Senior Superintendent of Police.

Shri Kishan Pal Pandey,
Constable No. 349. (Posthumous)

Shri Jagpal Singh,
Naik,
'G' Coy. XXVIII Bn., PAC.

Shri Ram Agya Singh,
Naik No. 21193, XV Bn., PAC.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 3rd March, 1982, information was received that the gang of Chhabiram dacoit was present on the border of Police Stations Barnahal and Ghiror. In order to wipe of the dacoits from that area, the Police launched an operation. As the Deputy Supdt. of Police, Mainpuri, moved towards village Khiriya, an encounter with the gang began. In the meantime, Shri Karam Vir Singh, Senior Supdt. of Police, reached village Takha, Police Station Ghiror, with a platoon of PAC, and rushed towards Nawatara in order to checkmate the plan of the gang to cross the Ghiror-Karhal road. The Inspector of Police, Mainpuri, alongwith one and a half sections of PAC personnel was stationed in Nagla, Banjaran to prevent the gang from crossing the area. Shri Karam Vir Singh, Senior Supdt. of Police, alongwith the Deputy Supdt. of Police and one and a half sections of PAC personnel proceeded towards village Ata Harena to take positions in the nearby fields. The sound of gun fire confirmed that the gang was moving towards that area. The gang entered village Harena and made a determined efforts to stop the chasing Police parties and to seek an avenue of escape but the Police party and PAC force prevented the plan of escape of the gang. The gang tried to move towards village Ata and forced its way across the road towards village Rathera but Shri Karam Vir Singh and his party provided a stiff resistance to the gang. The gang was finally trapped in the river bed of Sengar. At the darkness approached, the gang made a desperat bid to breakthrough but their escape was foiled. The frustrated dacoits brought very heavy fire on the Police parties. Naik Jagpal Singh of 28th Bn., PAC, was in the forefront of action and had been in continuous contact with the gang during the course of the day. He received serious bullet injuries while he was fighting by the side of Senior Supdt. of Police, Karam Vir Singh. Shri Ram Agya Singh, Naik and Shri Kishan Pal Pandey, Constable, who were members of the Police party fought valiantly at their ends and kept the dacoits tightly closed in the cordon. They were a source of inspiration to their own men and continuously exposed themselves to danger in order to get closer to the gang. In this process, Constable Kishan Pal Pandey was fatally wounded by a bullet fired by the dacoits. When the firing ceased the police party advanced and found that the dreaded dacoit Chhabiram and 11 hard-core members of his gang were killed.

In this encounter, Shri Karam Vir Singh, Senior Supdt. of Police, Shri Kishan Pal Pandey, Constable, Shri Jagpal Singh, Naik and Shri Ram Agya Singh, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd March, 1982.

No. 96-Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

*Names and rank of the Officers*

Shri Jahan Singh,
Inspector.

Shri Dujendra Singh Mallik,
Inspector.

Shri Brij Bhushan Chaudhary,
Sub-Inspector.

Shri Anant Prasad Singh,
Sub-Inspector of Police.

Shri Hari Shanker Singh Yadav,
Company Commander,
XV Bn., PAC.

Shri Ram Khilawan Misra,
Company Commander, XII Bn., PAC.

Shri Ram Prakash Panchauri,
Platoon Commander, XV Bn., PAC

Shri Ram Karan Singh,
Platoon Commander, XXVIII Bn., PAC.

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 3rd March, 1982, information was deceived that the gang of Chhaoiram dacoit was present on the border of Police Stations Barnahal and Ghiror. In order to wipe of the dacoits from that area, the Police launched an operation. As Shri Megh Singh Rana, Deputy Supdt. of Police, moved towards village Khirya, an encounter with the gang began. In the meantime, the Senior Supdt. of Police, Mampuri, alongwith Shri Vijay Singh, Deputy Supdt. of Police and a Platoon of PAC personnel reached village Takha, Police Station Ghiror and therefrom rushed towards Nawatara to checkmate the plan of the gang to cross the Ghiror-Kharhal road. The Police party consisted of, among others, Shri Jahan Singh, Inspector, Shri Dujendra Singh Mallik, Inspector, Shri Brij Bhushan Chaudhary, Sub-Inspector, Shri Anant Prasad Singh, Sub-Inspector, Shri Hari Shanker Singh Yadav, Company Commander, PAC, Shri Ram Khilawan Misra, Company Commander, PAC, Shri Ram Prakash Pachauri, Platoon Commander, PAC and Shri Ram Karan Singh, Platoon Commander, PAC. One and a half Sections of the PAC were led by Shri Dujendra Singh Mallik, Inspector, to counter the gang from crossing the area at Nagla. The Senior Supdt. of Police alongwith Shri Sukhrampal Singh, Deputy Supdt. of Police, and one and a half Sections of PAC personnel proceeded towards village Ata Harena to checkmate the possible route of escape from this side. The sound of gun fire confirmed that the gang was moving towards that area. The gang entered village Harena and made a determined effort to stop the chasing police parties and to seek avenue of escape but the police party and PAC force prevented the plan of escape of the gang. The gang tried to move towards village Ata and forced its way across the road towards Rathera but the Senior Supdt. of police and his party provided a stiff resistence to the gang. The gang was finally trapped in the river bed of Sengar. As the darkness approached, the gang made a desperate bid to breakthrough but their escape was foiled. The frustrated dacoits brought very heavy fire on the Police parties. The Police parties stood up firmly to deal with the dacoits and made a final assault to liquidate the gang. When the firing ceased, the Police parties advanced and found that the dreaded dacoit Chhabiram and 11 hard-core members of his gang were killed.

In this encounter, Shri Jahan Singh, Inspector Sub. Dujendra Singh Mallik, Inspector, Shri Brij Bhushan Chaudhray Sub-Inspector, Shri Anant Prasad Singh, Sub-Inspector, Shri Hari Shanker Singh Yadav, Company Commander, Shri Ram Khilawan Misra, Company Comamnder, Shri Ram Prakash Pachauri, Platoon Commander and Shri Ram Karan Singh, Platoon Commander, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd March, 1982.

No. 97-Pres.85.—The President is pleased to award Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

*Names and rank of the officers*

Shri Vijay Singh,
Deputy Superintendent of Police,

Shri Megh Singh Rana,
Deputy Superintendent of Police

Shri Sukhram Pal Singh,
Deputy Superintendent of Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 3rd March, 1982, information was received that the gang of Chhabiram dacoit was present on the border of Police Stations Barnahal and Ghiror. In order to wipe of the dacoits from that area the police launched an operation. As Shri Megh Singh Rana, Dy. Supdt. of Police moved towards village Khiriya, an encounter with the gang began. In the meantime the Sr. Supdt. of Police, Mainpuri alongwith Shri Vijay Singh, Dy. Supdt. of Police and a Platoon of PAC personnel reached villake Takha, Police Station Ghiror and therefrom rushed towards Nawatara to checkmate the plan of the gang to cross the Ghiror-Kharhal road. One and a half sections of the PAC were led by Shri Dujendra Singh Malik, Inspector, to counter the gang from crossing the area at Nagla. The Sr. Supdt. of Police alongwih Shri Sukhram Pal Singh, Dy. Supdt. of Police and one and a halt sections of PAC personnel proceeded towards village Ata Harena to checkmate the possible route of escape from this side. The sound of gun fire confirmed that the gang was moving towards that area. The gang entered village Harena and made a determined effort to stop the chasing police parties and to seek an avenue to escape but the Police party and PAC force prevented the plan of escape of the gang. The gang tried to move towards village Ata and forced its way across the road towards Rathera but the Sr. Supdt. of Police and his party provided a stiff resistance to the gang. The gang was finally trapped in the river bed of Sengar. As the darkness approached, the gang made a desperate bid to breakthrough but their escape was foiled. The frustrated dacoits brought very heavy fire on the Police parties. The police parties stood up firmly to deal with the dacoits and made a final assault to liquidate the gang. When the firing ceased, the Police party advanced and found that the dreaded dacoit Chhabiram and 11 hard-core members of his gang, were killed in the encounter.

Shri Vajay Singh, Dy. Supdt. of Police, Shri Megh Singh Rana, Dy. Supdt. of Police and Shri Sukhram Pal Singh, Dy. Supdt. of Police thus displayed conspicuous galantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Bar to the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admisible under rule 5, with effect from the 3rd March, 1982.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd August 1985

### RESOLUTION

No. VIII-2/85-IJSC.—The Committee for Studies on Economic Development in India and Japan set up vide Planning Commission Resolution No. F.13(39)/62-Admn.I dated 1st June, 1962 and redesignated as "India-Japan Study Committee" vide Resolution No. VIII-2/79-IJSC dated 13th January, 1979 and last reconstituted vide Planning Commission Resolution No. VIII-2/79-IJSC dated 16th June, 1984 has been further reconstituted as follows :—

*Chairman*

Shri Abid Hussain

*Members*

Shri Dinesh Singh
Prof. S. Ramaseshan

Shri P. S. Deodhar

Shri Dhruv Sawhney

*Member-Secretary*

Shri Nitin Desai

### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, all Chief Ministers of States, all Ministries of the Government of India Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Military Secretary to the President and Heads of all Indian Missions abroad.

ORDERED also that a copy be published in the Gazette of India.

K. C. AGARWAL, Dir. (Admn.)

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 4th September 1985

### RESOLUTION

No. F.4(1)|85-Hindi.—In supersession of the Ministry of Parliamentary Affairs Resolution No. F.2(2)|84-Hindi, dated the 18th May, 1984, as amended from time to time, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Parliamentary Affairs, as under :—

### COMPOSITION

*Official Members*

*Chairman*

1. Minister of Parliamentary Affairs (Shri H. K. L. Bhagat).

*Vice Chairman*

2. Minister of State (Smt. Margret Alva).

*Members*

3. Minister of State (Shri Ghulam Nabi Azad).
4. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs.
5. Secretary, Department of Official Languages and Hindi Adviser to the Government of India. (Ministry of Home Affairs)
6. Joint Secretary, Department of Official Languages. (Ministry of Home Affairs)
7. Deputy Secretary (Amn.) Ministry of Parliamentary Affairs.

*Member-Secretary*

8. Deputy Secretary (Leg.) Ministry of Parliamentary Affairs.

*Non-Official Members*

9. Shri Umakant Mishra, Member, Lok Sabha.
10. Smt. Kishori Sinha, Member, Lok Sabha.
11. Shri Ashwini Kumar, Member, Rajya Sabha.
12. Shri Mukhtiar Singh Malik, Member, Rajya Sabha.
13. Shri J. Vengal Rao, Member, Parliamentary Committee on Official Languages, (Member, Lok Sabha).
14. Shri Ram Chandra Bhardwaj, Member, Parliamentary Committee on Official Languages, (Member, Rajya Sabha).
15. Dr. Laxmi Narain Dube, Reader, Hindi Department, B-6, Sagar University, Sagar-470 003 (M.P.).
16. Dr. Satyendra Chaturvedi, Deputy Professor, Post-Graduate Studies, Hindi Department, Govt. Arts College, Alwar (Rajasthan-301001).
17. Shri Kripa Narain, Chancellor, Agricultural and Industrial University, Pant Nagar (U.P.)-263145.
18. Shri Ram Lal Parikh, Secretary, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, 75, Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi-110002.
19. Shri Sudhakar Pandey, M.P., General Secretary, Nagari Pancharini Sabha, 26, Dr. R. P. Road, New Delhi-1. Varanasi (U.P.).
20. Secretary, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Khairatabad, Hyderabad (A.P.).
21. Secretary, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Thyagarajnagar, Madras (Tamil Nadu).
22. Shri Harihar Nath Mishra (I.R.T.S.—Retired), Flat No. 2, Block No. 11, Nagar Mahapalika Flats, Hastings Road, Allahabad (U.P.).
23. President, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68 Sarojini Nagar, New Delhi.
24. Shri Mukul Chand Pandey, 2/10, Triveni Nagar, Sitapur Road, Lucknow-226020.

*Functions*

The work of this Committee will be to advise on matters relating to the progressive use of Hindi in the Ministry of Parliamentary Affairs and implementation of policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Languages).

*Period of Office*

Period of office of the Committee will be for a period of three years from the date of issue of earlier Notification of 18th May, 1984 of its construction. Provided that :—

(a) Any Member who is Member of Parliament, on ceasing to be a Member of Parliament, will not remain Member of this Committee also.

(b) Ex-Officio Members of the Committee will continue to be Member till they occupy the post, by virtue of which they are members of the Committee.

(c) If any vacancy is caused on the Committee due to resignation or death etc. of any Member, the Member appointed in his place, will remain Member of of the Committee for remaining period.

*General*

(1) The Committee, considering it necessary, can co-opt additional Member and can invite specialists to attend its meetings.

(2) Head Office of the Committee will be in New Delhi but Committee can call its meeting at any other place also.

*TA and other allowances*

The Non-Official members shall be paid TA & DA, for attending the meetings of the Committee and its Sub-Committees, from time to time, at the rates fixed by the Government.

### ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Govt. of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office,

Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Languages, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Officer, Department of Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

D. R. TIWARI, Dy. Secy

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 30th May 1985

RESOLUTION

*Subject* :—National Board of Adult Education.

No. F.4-2|80-A.E.I.—It has been decided to substitute the existing provision contained in para 4 of this Ministry's Resolution of even number dated 3rd January, 1983 under the heading 'Chairman' as under :—

1. "Union Minister of Education"
Members of Parliament

*Lok Sabha*

10. Shri Hardwari Lal
11. Shri Keyur Bhushan.

*Rajya Sabha*

12. Shri M. P. Kaushik.

2. This will be in continuation of this Ministry Resolution of even number dated 22nd September, 1984.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Governments of India, University Grants Commission, Planning Commission, Prime Minister's Office, New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

P. K. PATNAIK, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 16th August 1985

No. 22|1|80-LI.—The President hereby directs, that the following further amendments be made in the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

In Rule 19 of the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance for Note 10, the following Note shall be substituted, namely :—

"Note 10.—The Postmaster General may, after verification of the status of retired medical officers before their retirement from the Government Service, appoint the said retired medical officers for examining the Postal Life Insurance cases upto the monetary limits indicated below :—

(i) For Insurance upto Rs. 50,000/—Retired Medical officers who had held the status not lower than that of the Civil Surgeon.
(C.M.O. Grade I/Specialist Class II should also be considered as at the rank of Civil Surgeon)

(ii) For Insurance upto Rs. 20,000/—Retired medical officers who had held a status lower than that of the Civil Surgeon, but who are at least M.B.B.S.

(iii) For Insurance upto Rs. 2,000/—Retired medical officers with L.S.M.F. qualifications.

2. These amendments will take effect from 1-8-1985.

B. N. SOM, Director (PLI)

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 26th August 1985

RESOLUTION

No. E-11015|4|84-Hindi.—In continuation of Ministry of Works and Housing Resolution of even number dated 11th July, 1985, the Government of India has decided to nominate to Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Works and Housing the following members of the Parliamentary Committee on Official Language :—

1. Shri V. Tulsi Ram,
Member of Parliament (Lok Sabha),
22, Gurudawara Rakab Ganj Road,
New Delhi.

2. Shri Hukmdeo Narayan Yadav,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
130, North Avenue,
New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. M. GUPTA ,Dy. Secy.
Member Secy, Hindi Salahkar Samiti.

New Delhi, the 30th August 1985

RESOLUTION

No. E-11017|11|83-Hindi.—The following may be deemed to have been added as a Note under Para 6 of this Ministry's Resolution No. E-11017|11|83-Hindi dated 17th November, 1984 (Published in the Part-I Section 1 of the Gazette of India vide G.S.R. 10 dated 9-3-1985).

*ote* : (i) The Award years will be 1984-86, 1986-88, 1988-90 and so on.

(ii) Books eligible for consideration during a particular Award year will be accepted upto the 30th June of the following financial years (Example—books eligible for consideration for the award year 1984-86 will be accepted upto 30-6-1986). Books received thereafter will not be considered for award.

(iii) Books written/translated/published during the related award year only will be accepted for consideration."

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all State Government, Union Territories, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Departments of Government of India.

Ordered further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. M. GUPTA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985